



प्रेस नोट



जनपद-कौशाम्बी

दिनांक 26-06-2021

गैंगेस्टर एक्ट के वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 26.06.2021 को मु0अ0सं0 47/2021 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मोहब्बतपुर पड़सा जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कड़ाधाम द्वारा की जा रही थी से सम्बंधित वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधी 1. मो0 आरिफ उर्फ बूंदी पुत्र नफीस अहमद निवासी मोहल्ला खल्लाबाद भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी हालपता नयानगर प्रथम कस्बा व थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी 2. मो0 शानू उर्फ मुस्तफा पुत्र मुख्तार अली निवासी सरवनपुर नदौरा थाना धाता जनपद फतेहपुर हालपता नयानगर प्रथम कस्बा व थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को मुखबिर की सूचना पर सैनी बस अड्डा से थाना कड़ाधाम पुलिस व जनपद की एसओजी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह अपराधी गोवध कर मांस बेचने के शातिर अपराधी हैं। इन अपराधियों पर गिरफ्तारी हेतु 10 – 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. मो0 आरिफ उर्फ बूंदी पुत्र नफीस अहमद निवासी मोहल्ला खल्लाबाद भरवारी थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी हालपता नयानगर प्रथम कस्बा व थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी
2. मो0 शानू उर्फ मुस्तफा पुत्र मुख्तार अली निवासी सरवनपुर नदौरा थाना धाता जनपद फतेहपुर हालपता नयानगर प्रथम कस्बा व थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण -

1. मु0अ0सं0 47/2021 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मोहब्बतपुर पड़सा।
2. मु0अ0सं0 190/20 धारा 3/5क/5ख/8 गो0निवा0अधि0 व 11घ पशु क्रूरता अधि0 थाना मो0पुर पड़सा।
3. मु0अ0सं0 117/05 धारा 302/506 भा0द0वि0 थाना धाता जनपद फतेहपुर। (मो0शानू उर्फ मुस्तफा)

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. श्री बृजेन्द्र सिंह (प्रभारी निरीक्षक कड़ाधाम)
2. का0 गंगासागर यादव (थाना कड़ाधाम)
3. रि0का0 पुष्पेन्द्र यादव (थाना कड़ाधाम)
4. उ0नि0 संजय कुमार गुप्ता (एसओजी प्रभारी)
5. का0 मनोज कुमार यादव (एसओजी टीम)
6. का0 सरताज अहमद (एसओजी टीम)
7. का0 मनीष कुमार (एसओजी टीम)



साइबर सेल के त्वरित कार्यवाही से पीड़ित के खाते में वापस कराये गये 90000/-रु0

आवेदक श्री आकाश मिश्रा निवासी ग्राम ऊनो थाना मंझनपुर, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 12.04.2021 को पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के समक्ष एक शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके खाते से कुल 90000/- रु0 बिना उसके जानकारी के निकाल लिया गया है, जिसमें श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच साइबर सेलको सौंप दी। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के कुशल मार्गदर्शन में एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल पर्वेक्षण में साइबर सेल द्वारा कुशलता व सक्रियता से कार्य करते हुये दिनांक 15.06.2021 को आवेदक उपरोक्त के खाते से गया धनराशि 90000/- रु0 आवेदक के खाते में ऑनलाइन वापस कराये गये। पैसे वापस की खबर सुन कर वादी श्री आकाश मिश्रा का चेहरा खिल गया तथा आवेदक द्वारा साइबर सेल टीम व कौशाम्बी पुलिस को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया गया।



वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना प0 शरीरा - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना प0 शरीरा पुलिस उ0नि0 श्री चन्दन सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 66/20 धारा 41/411/413/414 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त मो0 असलम पुत्र मो0 मुस्तफा नि0 छिमिरछा थाना करारी जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।



जनपद मे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही

जनपद मे लाकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न थानों द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर घूमने/ मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध 50 बैरियर/नाकों एवं थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया/चार पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 197 वाहनों का eचालान किया गया एवं 08 वाहनों का चालान कर 2500 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया साथ ही बिना मास्क लगाये घूमने एवं सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 41 व्यक्तियों से 8400 रुपये जुर्माना वसूला गया ।

**पुलिस अधीक्षक
कौशाम्बी**